

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-92/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1663(2) दिनांक-17.09.2025 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रतिलिपि अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के स्थान पर प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना पढ़ा जाय।

2. स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1663(2) दिनांक-17.09.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अनुलग्नक-विभागीय आदेश संख्या-1663(2)
दिनांक-17.09.2025

ह०/-
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-92/2024- 1927(2) पटना, दिनांक 18/11/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अमित कुमार, ट्यूटर पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. M. K. 17/11/25
सरकार के अवर सचिव।